तारीख [illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-04-2018	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी को प्रकरण में सुना गया। वकील वादी नें कथन किये कि ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद में ख0नं0 77 की 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि दिनांक 07.10.1976 को नियमानुसार वादी के पिता भूरा आ0 धन्ना बाई निवासी गोरपा को आवंटित हुई थी। आवंटन आदेश, आवेदन पत्र व दखल नामा में वादी के पिता का नाम भूरा वल्द धन्ना अंकित है। बाद केचमेन्ट उक्त भूमि के नवीन ख0नं0 542 रकवा 7 बीघा 17 बिस्वा कायम किये गये तथा शेष रकवा 15 बिस्वा का नया ख0नं0 491 रकवा 14 बिस्वा कायम किये। उक्त भूमि ख0नं0 542 की 7 बीघा 17 बिस्वा व ख0नं0 491 की 14 बिस्वा के बाद सेटलमेंट ख0नं0 167 रकवा 0.08 हे0 व ख0नं0 208 रकवा 1.27 हे0 कायम किये गये। बाद केचमेंट राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से वादी के पिता का नाम भूरा आ0 धन्ना के स्थान पर भूरा आ0 पन्ना दर्ज हो गया जो इसी अनुसार बाद सेटलमेंट भी दर्ज रहा। वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में उक्त भूमि वादी की गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। खातेदारी प्राप्त करनें में किसी प्रकार की कानूनी अडचन पैदा न हो इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में भूरा आ0 पन्ना के स्थान पर भूरा आ0 धन्ना अंकित किया जाना व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर नोट अंकित किया जाना आवश्यक है। बाद बहस पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र, आवंटन आदेश, दखलनामा आदि में ख0नं0 77 की 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि भूरा पुत्र धन्ना बलाई को होना प्रमाणित है। किन्तु उक्त आवंटन के अमल में भूरा पुत्र पन्ना बलाई अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद स्थित पूर्व ख0नं0 77 की 9 बीघा 6 बिस्वा (हाल ख0नं0 167 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 208 रकबा 1.27 हे0) भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम भूरा पुत्र पन्ना बलाई के स्थान पर भूरा पुत्र धन्ना बलाई दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

बाबूलाल पुत्र भूरा जाति मेघवाल निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–4/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद स्थित पूर्व ख0नं0 77 की 9 बीघा 6 बिस्वा (हाल ख0नं0 167 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 208 रकबा 1.27 हे0) भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम भूरा पुत्र पन्ना बलाई के स्थान पर भूरा पुत्र धन्ना बलाई दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाते है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 10.04.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner